

अनुदान संख्या 89 - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 89 - DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged-	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	5919,48,00	5919,51,00	4519,96,30
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			-1399,54,70
				1059,45,00
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	82,70,00	40,02,61	-42,67,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			40,58,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में ₹2.00 लाख का विनियोग निम्नलिखित एक शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा।

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	10000.00			
पू.	S.	1.00	10355.00	9430.95	-924.05
पु.	R.	354.00			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	581948.00			
पू.	S.	2.00	475651.00	442565.35	-33085.65
पु.	R.	-106299.00			

(I) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹10001.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2023 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹10000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य – अन्य योजनायें" अनुसंधान और विकास उपकर के अंतर्गत प्राप्तियों से भुगतान के अंतर्गत लेखाबद्ध थे ऐसा प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड को वित्तीय सहायता देने के लिए नव सृजित शीर्ष में अंतरण के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" के अंतर्गत – ₹591.64 लाख की बचत (₹9952.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न आई टी मदों की खरीद के लिए जी ई एम पोर्टल पर बहुत सी निविदाओं के रद्द होने/उन्हें अंतिम रूप नहीं दिए जाने और रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3425" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of ₹10001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2023) remained wholly unutilised under two heads; of these ₹10000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3425" - "Others - Other Schemes - Payment against receipts under R&D cess" - due to transfer of funds to newly created heads for financial support to Technology Development Board.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Science and Technology" - saving of ₹591.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9952.00 lakhs) was due to cancellation/non-finalisation of multiple bids on the GeM portal for procurement of various IT items and non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "3425" - savings occurred under the following heads:-

(का) “भारतीय सर्वेक्षण – निर्देशन और प्रशासन – भारत के महा सर्वेक्षक” – ₹3045.12 लाख की बचत (₹41837.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न भू सथानिक डाटा केंद्रों (जी डी सी) कंप्यूटर अभिमुखी सूदूर संवेदी स्टेशन संस्थापित नहीं किए जाने, रिक्त पदों को नहीं भरे जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “अन्य” –

(क) “राष्ट्रीय मानचित्रण और विषयगत मानचित्रण संगठन – एन ए टी एम ओ कार्यालय” – ₹955.40 लाख की बचत (₹3450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने, कलकत्ता नगर पालिका विकास प्राधिकरण को संपत्ति कर अदा नहीं किए जाने, ई एस आर आई उद्यम के साथ करार को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और परामर्शदाताओं/व्यवसायियों को तैनात नहीं किए जाने के कारण हुई।

(ख) “अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता” –

(i) “वैज्ञानिक संस्थानों/व्यवसायी निकायों/स्वायत्त शासी अनुसंधान और विकास संस्थानों को सहायता” – ₹25310.05 लाख की बचत ₹150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने और स्वायत्त शासी संस्थानों द्वारा कम निधियों की मांग के कारण हुई।

(ii) “वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थान और मानव क्षमता निर्माण” – ₹33777.00 लाख की बचत (₹107800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आई एन एस पी आई आर ई कार्यक्रम के अंतर्गत फ़ैलोशिप/इन्टर्शिप के लिए कम निधियों की आवश्यकता, प्रशिक्षण कार्यक्रम के विदेश एक्सपोजर को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और

(A) “Survey of India” - Direction and Administration - Surveyor General of India” - saving of ₹3045.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41837.00 lakhs) was due to non-installation of Computer Oriented Remote Sensing Station (CORS) at various Geo Spatial Data Centres (GDCs), non-filling up of vacant posts and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Others” -

(a) “National Atlas and Thematic Mapping Organisation - NATMO Office” - saving of ₹955.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3450.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-payment of Property tax to Kolkata Municipality Development Authority, non-finalization of agreement with ESRI Enterprise and non-deployment of consultants/professionals.

(b) “Assistance to Other Scientific Bodies” -

(i) “Assistance to Scientific Institutions/ Professional Bodies/Autonomous R&D Institutions” - saving of ₹25310.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and less demand by Autonomous Institutions.

(ii) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹33777.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹107800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards fellowship/Internship of INSPIRE Program, non-materialization of

वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

foreign exposure of the training program and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iii) “नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और तैआतीज” – ₹20758.98 लाख की बचत (₹61700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने और चालू और नई परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(iii) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹20758.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61700.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds towards ongoing and new projects.

(iv) “अनुसंधान और विकास” – ₹34741.34 लाख की बचत (₹52103.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने, वैध क्रण और प्रमाणन के समय तकनीकी त्रुटि देखी जाने के कारण स्वदेशी रुद्र सर्वर बोर्ड को भुगतान में विलंब होने और टी एफ ए आर क्लस्टर के समन्वयकों से दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(iv) “Research and Development” - saving of ₹34741.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52103.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance, delay in payment to indigenous Rudra Server Board owing to technical glitches during validation and certification and non-receipt of documents from Coordinators of the TFAR clusters.

(ग) “अन्य योजनायें – राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौइक प्रणाळी मिशन” – ₹4259.79 लाख की बचत (₹29000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(c) “Other Schemes-National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System” - saving of ₹4259.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना”-

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(i) “नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती”- ₹9120.65 लाख की बचत (₹11815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने

(i) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹9120.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11815.00 lakhs) was due to cut imposed at

और निधियों के संशोधित प्रवाह के कार्यान्वयन के कारण परियोजना गतिविधियों के कार्य निष्पादन में विलंब के कारण हुई।

- (ii) “राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन” – ₹700.00 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।
- (iii) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और मानव क्षमता का विकास” – ₹862.15 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ड) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

- (i) “विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और मानव क्षमता का विकास” – ₹1171.94 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के तहत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने और और आई एन एस पी आई आर ई अवार्ड के लिए कम छात्रों के चयन के कारण हुई।

- (ii) “नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती” – ₹4047.30 लाख की बचत (₹6937.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रभागों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

revised estimates stage by the Ministry of Finance and delay in execution of project activities owing to implementation of revised flow of funds.

- (ii) “National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems” - saving of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.
- (iii) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹862.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs); and

(e) “Tribal Area Sub-Plan” -

- (i) “Science and Technology Institutional and Human Capacity Building” - saving of ₹1171.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and selection of less students for INSPIRE Award.

- (ii) “Innovation, Technology Development and Deployment” - saving of ₹4047.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6937.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and requirement of less funds by divisions towards implementation of projects.

(च) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अनुसंधान और विकास – अनुसंधान और विकास” – ₹1157.38 लाख की बचत (₹8300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान के तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती लागू किए जाने, कम संख्या में विदेश यात्रायें करने और परियोजना कार्यकलापों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(f) “International Co-operation - Research and Development” - saving of ₹1157.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8300.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance, less foreign tours undertaken and requirement of less funds towards project activities.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10000.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2022 में मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्य – अन्य योजनायें – प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹9999.00 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹10000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2022 under Major Head “3425” - “Others - Other Schemes - Technology Development Board”. Actual excess, however, was ₹9999.00 lakhs.

(II) बचतें भी मुख्य शीर्ष “3425” – “अन्यों – अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – विदेश स्थित विज्ञान परामर्शदाता” विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष के अंत में अतिरिक्त व्यय दर्ज करने के कारण हुए ₹776.93 लाख के अधिक व्यय (₹1335.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3425” - “Others - International Co-operation - Science Counselors Abroad” - excess of ₹776.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1335.00 lakhs) was due to booking of additional expenditure by Ministry of External Affairs at the fag end of the year.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹307.88 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹307.88 lakhs occurred constituting 38 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "5425"	Major Head "5425"			
अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research			
मू.	O.	8270.00		
			4212.00	4002.61
पु.	R.	-4058.00		-209.39

(I) "अन्य व्यय – विशेष निर्माण कार्य – भवन और एअर कंडीशनिंग और उपकरण" के अंतर्गत एक मामले में ₹1500.00 लाख का प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में कटौती लागू किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "Other Expenditure - Special Construction Work-Building and Air Conditioning and Equipment" - due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(II) "भारतीय सर्वेक्षण – भवन" के अंतर्गत – ₹1531.45 लाख की बचत (₹5200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में कटौती किए जाने, विभिन्न स्टेशनों पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण हुई।

(II) Under "Survey of India - Building" - saving of ₹1531.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5200.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance and utilisation of less funds by Central Public Works Department towards Construction at various stations.

(III) "अन्य व्यय – डिजिटल मैपिंग प्रणाली (एन ए टी एम ओ)" के अंतर्गत – ₹1235.94 लाख की बचत (₹1570.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राकलन चरण में कटौती लागू किए जाने, मोटर वाहनों की खरीद के लिए अनुमोदन नहीं मिलने, ई ऑफिस परियोजना की सामग्री की प्रदायगी नहीं होने और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(III) Under "Other Expenditure - Digital Mapping System (NATMO)" - saving of ₹1235.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1570.00 lakhs) was due to cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-approval of procurement of motor vehicle, non-delivery of materials of e-office project and less utilisation of funds by Central Public Works Department.